दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 27/7089 दिनांक:-20.09.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-260/2018

विषय:-Clarification regarding payment of Breakdown Allowance.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)II-2017/BDA-1 दिनांक 14.09.2018, RBE No. 138/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	Letter of even no. dated 30.08.2017	157/2017

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृ०)

20-9-18

(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एचं.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

E/R No.-260/2018
P/1

No.E(P&A)II-2017/BDA-1

RBE No.138/2018
New Delhi, dated 14.09.2018.

The General Mangers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.
(As per mailing list).

Sub: Clarifications regarding payment of Breakdown Allowance.
Ref:- Board's letter of even number dated 30.08.2017 (RBE No.106/2017) 157/17

*****

In context of Board's letter cited above, references have been received in Board's office from some Zonal Railways, seeking clarifications regarding entitlement of Breakdown allowance to Technician Gr.III drawing pay in higher level i.e. Pay level 3 under MACPS rather than the pay level available for the post. The issue has also been raised by AIRF in PNM Forum as item No.15/2018 and NFIR in their letter dated 11.04.2018.

2. The matter has been examined in Board's office and it has been observed that the MACP Scheme provides for grant of financial upgradation to the employees on personal basis and there occurs no change in the designation, classification or status. The concerned employees continue to discharge the duties and responsibilities of the post held by them. In view of this, it is clarified that the Breakdown Allowance has to be paid at the rate(s) as prescribed against the respective post mentioned in para-1 of Board's letter dt. 30.08.2017. Accordingly, Technician Gr.III though drawing pay in higher pay level under MACPS, are entitled for Breakdown Allowance at the rates prescribed for the post held by them.

3. The other terms and conditions relating to Breakdown Allowance will remain the same.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(N.P.Singh)
Joint Director/Estt.(P&A),
Railway Board
New Delhi, dated 14.09.2018

No.E(P&A)II-2017/BDA-1

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railways), Room No.224, New Delhi-110001.

For Financial Commissioner/Railways

260/18
P/2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 138 /2018
नई दिल्ली, दिनांक 14.09.2018

सं. ई(पीएंडए)।।-2017/बीडीए-1

महाप्रबंधक/वि.का.अ./मु.प्र.अ.,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: ब्रेक-डाउन भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण
संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 30.08.2017 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 106/2017).

****

बोर्ड के ऊपर उल्लिखित पत्र के संबंध में, कुछ क्षेत्रीय रेलों से बोर्ड कार्यालय में पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें तकनीशियन ग्रेड ।।। जो इस पद के लिए उपलब्ध वेतनमान की तुलना में एमएसीपी के तहत पे लेवल 3 में ज्यादा वेतन प्राप्त कर रहें हैं को ब्रेक-डाउन भत्ता देने की पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मुद्दे को एआईआरएफ द्वारा पीएनएम फोरम में मद सं. 15/2018 के रूप में तथा एनएफआईआर द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.04.2018 में भी उठाया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह देखा गया है कि एमएसीपी स्कीम कर्मचारियों को निजी आधार पर वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के लिए है और इससे उनके पदनाम, वर्गीकरण अथवा पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंधित कर्मचारी, उसी धारित पद की ड्यूटी और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। इसे देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 30.08.2017 के पत्र के पैरा-। में उल्लिखित संबंधित पद के लिए यथा निर्धारित दर(दरों) पर ब्रेक-डाउन भत्ता का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, तकनीशियन ग्रेड-।।। हालांकि एमएसीपी के अंतर्गत उच्चतर लेवल में वेतन लेते हुए भी उनके द्वारा धारित पदों के लिए निर्धारित दरों पर ब्रेक-डाउन भत्ता लेने के लिए पात्र हैं।

3. ब्रेक-डाउन भत्ते से संबंधित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक/ई(पीएंडए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)।।-2017/बीडीए-1
नई दिल्ली, दिनांक 14.09.2018

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलों), कमरा सं. 224 रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें